

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

प्र०

पत्रांक : ४३/प्र०अ०-भवन/जोग-४/२०११-१२ दिनांक १५/०५/२०१२

अनुमति-एवं

यह अनुमति से ३०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस मूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित पौलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट मानचित्र (विरतार) रवैकृत जिया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किरी रथानीय निकाय या इराला रथानीय अधिकारी या व्यक्ति उथवा फर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का लोई असर पड़ेगा अथवा यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारी के विरुद्ध लोई प्रगति न रखेगी।


श्री आनन्द सिंह, सचिव, सुरेच्छा एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा आराजी संख्या-७६४ भौजा-महुआरी, ता०-लवायन, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद जोन राख्या (२) के अन्तर्गत दाखिल मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्णय की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है -












१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विलास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपयोग/अधियोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास एवं विभिन्न संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह रवैकृति अनैन्यम (Provisional) रवैकृति के रूप में होगी निर्माण पूर्व होने के उपरान्त, भारी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की रूपों पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परियुक्त को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के गूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अन्तिम अनापत्ति, विद्युत सुधार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
४. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विधाव पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
५. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
६. स्थल पर १२५ वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
७. स्थल का उपयोग/अधियोग रवैकृत प्रस्तावना के अनुसार ही लगाना होगा।
८. स्थल पर रेनवाटर हार्डस्ट्रिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू गर्भ जल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
९. भवन पूर्ण होने पर सोलर बाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
१०. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकारा अधिनियम १९७३ की धारा १५ (२) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
११. यह स्वीकृत पत्र केवल पैक्च तर्थ की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अंतिक्षम प्रकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०प्र० ३० द्वारा निवासानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकारा अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
१२. मकान निर्माण रो यदि नाली के राङ्क की पूरी अवधा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाले पिछाले अवधा उराके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थामी दीयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोध कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

४१८ फिल्म
१४५/१२

Continued

SHEET NO.
1 2 3





STRUCTURE DETAIL DRAWING

SANCTION AND PROPOSED PLAN FOR DIPLOMA #
TECHNICAL INSTITUTE AT PART OF ARAZI NO. 764
NAUZA MAHUNARI, PER-ARAL, TEHSIL-AVRUCHANA
DISTT-ALLAHABAD

ONBEI
SURENDRA EDUCATIONAL SOCIETY
ESTD. 1947. TEL. 0522-2222222
HARSH VIKAS INSTITUTE OF DIPLOMA TECHNOLOGY



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO.
1 2 3

PROPERTY OF OTHERS



RAZI NO. 764 OF SRI TRIBHUVAN RAIH

काशी अधिकारी का निवास है। प्राचीन भवान
में जल्दी के बाद में यह परिवर्तन का आवश्यक
जरूरत पड़ता है। यह उद्देश्य।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

प्राचीन भवान को निवास के लिए बदला जाना चाहिए।

LAND PLANNING AND DEVELOPMENT PLAN

DATE: 20/08/2014
PLANNING AND DEVELOPMENT: 2014
NAME: 1000

**SANCTION AND PROPOSED PLAN FOR DIPLOMA #
TECHNICAL INSTITUTE AT PART OF ARAZI NO. 764
MAUZA-MAHAWARI- PER ARAZI, TEHSIL-KARCHANA,
DISTT. ALLAHABAD.**

OWNER:-

SURENDRA EDUCATIONAL SOCIETY
CONSTITUTED AS AN INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

AWAS CONSULTANTS

LAWYERS, ENGINEERS, SURVEYORS, DESIGNERS,
AND CONSULTANTS. MUMBAI, MUMBAI, ALLAHABAD

SIGN:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT